

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती विमला प्रधान स०वि०स०	<p>सिमडेगा नगर परिषद के अन्दर 18 वार्ड है और अधिकतर बाड़ी में बहुत तेजी से मकान बनाये जा रहे हैं, जब कि नगर परिषद के अन्दर की जमीन केशरहिन्द, खासमहल, गैरमजुरुआ खास की है या तो आदिवासी ऐयती जमीने हैं। भूमि माफियाओं के द्वारा आदिवासी जमीन का क्रय विक्रय त्वरित गति से हो रहा है जिसके कारण C.N.T. ACT का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है जिला प्रशासन एवं नगर परिषद प्रशासन का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होने के कारण रजिस्ट्री एवं नक्शा पास हुए बगैर मकान निर्माण हो रहा है।</p> <p>अतः अविलम्ब कार्रवाई हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।</p>	राजस्व,नि० एवं भूमि सुधार
02-	श्री सुखदेव भगत स०वि०स०	<p>विदित हो कि दिनांक- 31.03.2015 को कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद लोहरदगा के द्वारा शहरी जलापूर्ति योजना हेतु जालसाजी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में 2 करोड़ 27 लाख 25 हजार रुपयों का गबन कर लिया गया है। जमीन मौजा-कैमो लोहरदगा थाना न०- 212 खाता न०-185 एवं 153, प्लाट न०-1307 एवं 1308 आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बताया गया। रजिस्ट्री दस्तावेज में पावर ऑफ एटार्नी होने-वाले को जीवित बताया गया है, जबकि वह मृत था। पावर ऑफ एटार्नी की अवधि भी कालबाधित है।</p>	राजस्व,नि० एवं भूमि सुधार

कृ०पृ०३०

01.	02.	03.	04.
		<p>ये सब अवैध तरीके से जमीन की राशि हड्पने के उद्देश्य से की गयी है। अतः सदन के माध्यम से जालसाजी करके सरकारी राशि को हड्पने वाले मामले की जाँच कराने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाही करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p>	
03-	श्री अनन्त कुमार ओझा स०वि०स०	<p>साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत भूमि का खासमहाल का दर्जा समाप्त कर ऐयती भूमि का दर्जा देने हेतु स्थानीय स्तर पर वर्षों से माँग होते आ रही है और इसके लिए आव्वोलन भी किया गया है, चूँकि शहरी क्षेत्र की भूमि खासमहाल नहीं है। इससे संबंधित तथ्य भी उपलब्ध है। यह आजादी पूर्व बिद्रिश राज्य का काला कानून है, जिससे यहाँ के भूमि को ऐयती भूमि का दर्जा प्राप्त न मिल सके। साहेबगंज खासमहाल क्षेत्र अन्तर्गत कुल 10 मौजा है यानि खासमहाल भूमि का कुल रकवा 1421 एकड़ भूमि। इस क्षेत्र के भूमि का खासमहाल रहने के कारण आजादी से अबतक राज्य को अरबों रुपये राजस्व की हानि उठानी पड़ी है। इस शहरी क्षेत्र के भूमि का खासमहाल का दर्जा समाप्त करने से एक ओर जहाँ राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं स्थानीय आमजन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबल होंगे। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र अन्तर्गत भूमि का खासमहाल दर्जा समाप्त कर ऐयती भूमि का दर्जा दिलायी जाय, इस ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।</p>	राजस्व, नि० एवं भूमि सुधार
04-	सर्वश्री रामकुमार पाहन, शिवशंकर उर्हाँव एवं श्री लक्ष्मण दुर्दू स०वि०स०	<p>रॉची जिलान्तर्गत स्थित डी०पी०एस०, डी०ए०भी० ग्रुप जे०भी०एम० श्यामली, टोरियन वट्ठ, सफायर, सरला बिरला, सी०आई०टी० इत्यादि अनेक प्रसिद्ध खूल हैं जिसमें नियमानुसार बी०पी०एल० परिवार के बच्चों का नामांकन लेना है लेकिन अभी तक रिफ औपचारिकताएँ ही पुरा होते आ रहा है। यदि किसी तरह बी०पी०एल० परिवार के बच्चों का नामांकन होता भी है तो बच्चों के साथ खूल प्रबंधन का व्यवहार अच्छा नहीं रहता इस कारण बी०पी०एल० परिवार अपने बच्चों का नामांकन इन प्रसिद्ध खूलों में नहीं करते हैं। अतएव रॉची जिलान्तर्गत स्थित सभी स्कूलों में बी०पी०एल० परिवार के बच्चों वी जाँच कराने का एवं बी०पी०एल० परिवार के बच्चों का नियमानुसार स्कूलों में नामांकन कराने हेतु निर्देश देने का मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
05-	श्रीमती सीता सोरेन, स०वि०स० श्री चमरा लिण्डा एवं श्री दीपक विरुद्धा स०वि०स०	गर्मी के मौसम में आगलाई के मामले होते रहते हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि आग तो लगती है, लेकिन उसको बुझाने के लिए जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है, वह बहुत कमज़ोर है। जिले में मात्र दो फायर बिग्रेड की मशीनें होती हैं, जिससे आग बुझाना संभव नहीं होता है। मैं सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ कि प्रखंड स्तर पर फायर बिग्रेड की मशीनें इस मौसम में उपलब्ध कराया जाए।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन

राँची,
दिनांक- 17 फरवरी, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-९९२ वि० स०, राँची, दिनांक- १६/०२/१६
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च व्यायालय राँची/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
१६/०२/१६

(नीलेश रंजन)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-९९२ वि० स०, राँची, दिनांक- १६/०२/१६
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
१६/०२/१६

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

अमृत
१६/०२/१६

सुभाष